

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सं० 162-ज०स०(विज्ञा०)/पाकालि/2011/1-ज०स०/78

दिनांक : 12-7-11

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा समाचार-पत्र तरुणमित्र (हिन्दी दैनिक), लखनऊ, जेरो उपर्युक्त सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं डी०ए०वी०पी० द्वारा शासकीय विज्ञापन निर्गत किये जाने हेतु मान्यता प्राप्त है, को तत्काल प्रभाव से उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिं०/अधीनस्थ इकाइयों से निर्गत होने वाले विज्ञापनों हेतु इस प्रतिबंध के साथ स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है कि वे समय-समय पर डीएवीपी द्वारा दरे पुनरीक्षित किये जाने पर उसकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति अनुसंचित(विज्ञापन), उ०प्र०पावर कारपोरेशन(मुख्यालय) को प्रत्येक बार नियमित रूप से अवश्य उपलब्ध कराते रहेंगे।

इस समाचार-पत्र में विभिन्न विद्युत वितरण निगमों एवं उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपो० लिं० एवं पावर कारपोरेशन मुख्यालय से सम्बद्ध इकाइयों द्वारा प्रकाशित कराये गये विभागीय विज्ञापनों के बीजकों का भुगतान सम्बंधित निगमों/क्षेत्रों/इकाइयों द्वारा ही किया जायेगा। उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिं० (मुख्यालय) द्वारा, मात्र मुख्यालय से निर्गत विज्ञापनों से सबैक्षण बीजकों का ही भुगतान किया जायेगा।

सक्षम अधिकारी (निम्नतम अधिशासी अभियन्ता स्तर तक) द्वारा विज्ञापन/निविदा निर्गत न किये जाने की स्थिति में, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिं० उसके भुगतान हेतु उत्तरादायी नहीं होगा। इस समाचार-पत्र को सूचीबद्ध किये जाने के आदेश जारी होने की तिथि के उपरान्त प्रकाशित किये गये विज्ञापनों के विरुद्ध देय बीजकों का ही भुगतान किया जायेगा।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिं० हित में, आवश्यक समझे जाने पर किसी भी समय स्थायी मान्यता समाप्त की जा सकती है।

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

सं०: - (1)/विज्ञा०/पाकालि/10 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

3. प्रबन्ध निदेशक-मत्वांकले, लखनऊ, रूपांचल, कारानसी, दरियांदल, नरठ, दक्षिणांचल, झानसी, विद्युत विभाग निगम लिं० ९५ कंकड़, कानपुर।
2. निदेशक(वितरण) / (वित्त) / (पारेशन) / (वाणिज्य) / (कार्मिक प्रब० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
3. सलाहकार/संयुक्त-संचिव एवं अध्यक्ष-सह प्रबन्ध-निदेशक के विशेष सहायक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिनिदेशक, पारेशन, उ०प्र०पा० ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिं०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. प्रमुख निजी संचिव सं० अध्यक्ष सह-प्रबन्ध-निदेश०/निजी संचिव सं० अपर प्रबन्ध निदेश०, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन से संबद्ध इकाइयों : वाणिज्यिक/नियोजन/रेपो/जॉच-समिति, I/II) / जल विद्युत कार्यालय/जानपद-मुख्यालय/ऊर्जा कंपनी (PPA) / कम्प्युटर्डाइजेशन इकाई/ऊर्जा प्रणाली/आर०ए०य० एवं प्रबन्ध सामग्री उ०प्र०पा०कालि।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, समस्त पारेशन क्षेत्र, उ०प्र०पा० ट्रान्स० का० लिं०, उ०प्र०।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/विभिन्न लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा) / मुख्यालय भुगतान/प्रशासन/आय-व्ययक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. संचिव, विद्युत सेवा आयोग/विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (जानपद-मुख्यालय) / विद्युत आयात-नियंत एवं भुगतान मण्डल, उ०प्र०पा०का०लि०।
11. जनसम्पर्क अधिकारी/विज्ञापन अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. प्रबन्धक, तरुणमित्र (हिन्दी दैनिक), अरगाहा, हुसैनगंज, लखनऊ-226001 को उनके पत्र सं० 133, दि०11.01.11,134, दि० 01.3.11, सं० शून्य, 22.3.11 एवं सं० शून्य, दिनांक 08.6.2011 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

बदन सिंह
बदन सिंह

(बदन सिंह)
अनुसंचिव (विज्ञापन)।